

### अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामि को नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजस्वीय, ए.टी.एन. या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत गिरवा दी जा सकती है ।

महल खिड़की मेलन आवासीय प्रयोजनाधीन

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 36 दिनांक 10/4/2019

प्रार्थी पुनीष माव्यूर S/O श्री फुलदा नारायण माव्यूर

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 प. No-46/16 खसमा नंबर 99

धारा 194 (2) (c) के अन्तर्गत आवासीय ग्राम सूपला

भवन निर्माण हेतु मानाजत्र कार्यालय में पेश


कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 20096/- जमा की

जरिये रसीद संख्या 1005/9619, 9620

दिनांक 11/04/2019 को जमा करा दी है ।

यशदेव

प्रारूपकार  
नगर निगम, जोधपुर

  
9414049590